135

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क्र0— /2018—19 निगरानी

निगरानी-0672/2019/नीमच/भू.रा.

बंशीलाल पिता गब्बुलालजी महाजन (जैन), आयु—83 वर्ष, निवासी ग्राम सुरजना तहसील व जिला नीमच म0प्र0 ———प्रार्थी

प्रार्थी अभिभाषक श्री बी.एल. मावर
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 22/4/19
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

(1) गोपाल पिता नंनदराम पाटीदार
(2) नंदराम पिता भुवानीरामजी पाटीदार
निवासी—ग्राम सुरजना तहसील व जिला नीमच म0प्र0

———प्रतिप्रार्थीगण

684

अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा प्रकरण कमांक 794/अपील/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2019 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नानुसार निगरानी का स्मरण लेख सादर प्रस्तुत है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1 यह कि, प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नंबर 65 रकबा 1.850 हेक्टेयर ग्राम सुरजना तहसील नीमच में स्थित है। प्रार्थी की उम्र वर्तमान में 84 वर्ष है। प्रार्थी के जीविका का एकमात्र साधन वर्तमान में कृषि ही है। प्रतिप्रार्थीगण आपस में पिता पुत्र है। प्रतिप्रार्थीगण की भूमि ग्राम सुरजना में स्थित सर्वे नंबर 64/375 मोके पर कई वर्षो से पड़ती पड़ी हुई है। इसी पड़त भूमि से उत्तर दिशा की ओर स्थित कृषि भूमियों के कास्तकार उक्त भूमि की मेढ़ पर बने रास्ते पर से होकर आना जाना करते

निरन्तर.......2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-0672/2019/नीमच/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक की ओर से श्री बी.एल. मावर उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/03/2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अतः यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	